



प्रगति के पथ पर अग्रसर हिमाचल



“हिमाचल प्रदेश का एक-एक मजदूर!
अब आर्थिक रूप से होगा मजबूत!!”

हिमाचल प्रदेश भवन एवं अन्य सन्निर्माण कामगार कल्याण बोर्ड, शिमला-2 (हि0प्र0)

हिमाचल प्रदेश भवन एवं अन्य सन्निर्माण कामगार कल्याण बोर्ड का गठन 2 मार्च, 2009 को BOCW Act, 1996 में निहित प्रावधानों के अनुसार किया गया है। बोर्ड का मुख्य उद्देश्य हिमाचल प्रदेश के भवन एवं अन्य सन्निर्माण कार्यों में कार्यरत समस्त कामगारों व उनके परिजनों को कल्याणकारी योजनाओं के माध्यम से विभिन्न सुविधाएं उपलब्ध करवाना है।

भवन एवं अन्य सन्निर्माण कार्य – भवन एवं अन्य सन्निर्माण कामगार अधिनियम, 1996 के अनुसार वे सभी कामगार जो भवन या अन्य सन्निर्माण कार्य, भवनों, मार्गों, सड़कों, सिंचाई, जल निकास, तट बंध, बाढ़ नियंत्रण कार्य, वर्षा जल निकास कार्य, विद्युत के उत्पादन, पारेषण (Transmission) एवं वितरण जल संबंधी कार्य, विद्युत लाइनों, टेलीफोन, तार तथा ओवरसीज़ संचार माध्यमों, बांधों, नहरों, जलाशयों, सुरंगों, पुल-पुलियों, पाइप लाइनों, टावर के निर्माण कार्यों, मुरम्मत या रख-रखाव या इनके निर्माण या गिराये जाने से सम्बन्धित कार्य सम्मिलित हैं, कामगार कल्याण बोर्ड में पंजीकृत हो सकते हैं। इसके अन्तर्गत ऐसे भवन या अन्य सन्निर्माण कार्य सम्मिलित नहीं होंगे, जिनमें कारखाना अधिनियम, 1948 अथवा खान अधिनियम, 1952 के प्रावधान लागू होते हैं।

पंजीकरण कैसे करवाएं – पंजीकरण के लिए भवन एवं अन्य सन्निर्माण कार्य में कार्यरत कामगार की आयु 18 से 60 वर्ष के मध्य होनी चाहिए तथा जिन्होंने पिछले 12 माह में कम से कम 90 दिन तक भवन एवं निर्माण कार्य में काम किया हो। पंजीकरण के लिए कामगार को सम्बन्धित जिला श्रम कल्याण अधिकारी के कार्यालय में आधार कार्ड की प्रति, बैंक पासबुक की प्रति, राशन कार्ड / परिवार रजिस्टर की प्रति तथा दो पासपोर्ट फोटो सहित आयु प्रमाण के लिए निम्न दस्तावेज में से किसी एक की सत्यापित प्रति प्रस्तुत करनी होगी जैसे: परिवार रजिस्टर की प्रति / स्कूल छोड़ने का प्रमाण पत्र / जन्म और मृत्यु रजिस्ट्रार द्वारा जारी किया गया जन्म प्रमाण पत्र / ड्राइविंग लाइसेंस / निर्वाचन मतदाता कार्ड। इसके अतिरिक्त कामगार बोर्ड की बैबसाईट (<https://bocw.hp.nic.in>) पर अपना पंजीकरण / नवीनीकरण कर सकता है।

हि0 प्र0 भवन एवं अन्य सन्निर्माण कामगार कल्याण बोर्ड द्वारा कामगारों के लिए निम्नलिखित कल्याणकारी योजनाएं चलाई जा रही हैं।


क्र.स.	योजना का नाम	सहायता राशि (रु.)
1.	शादी हेतु वित्तीय सहायता-लाभार्थी के स्वयं के विवाह तथा दो बच्चों के विवाह हेतु	51000
2	मातृत्व / पितृत्व प्रसुविधा – (1) महिला लाभार्थी को प्रसव अवधि के समय अथवा बच्चे के जन्म (2) पंजीकृत कर्मकार की पत्नी को दो प्रसवों तक (3) पुरुष लाभार्थी को पितृत्व सुविधा के तहत बच्चे के जन्म पर (4) महिला लाभार्थी को 90दिन से 26 सप्ताह तक मातृत्व अवकाश की राशि प्रदान की जायेगी	25000 6000 1000

3.	चिकित्सा सहायता— लाभार्थी और उसके आश्रितों को चिकित्सा चिकित्सा उपचार हेतु	50000 से 500000 तक
4.	शिक्षा हेतु वित्तीय सहायता— प्रथम कक्षा से पी.एच.डी. तक	8400 से 120000 तक
5.	पैशन सुविधा— लाभार्थी के 60 वर्ष की आयु पूर्ण करने पर	1000 प्रतिमाह
6.	दिव्यांग पैशन— लाभार्थी की दुर्घटना एवं बिमारियों के कारण हुई विकलांगता की स्थिति	500 प्रतिमाह
7.	अन्तिम संस्कार हेतु सहायता— पंजीकृत सदस्य की मृत्यु होने पर नाम निर्देशितों/आश्रितों को	20000
8.	मृत्यु सहायता— पंजीकृत सदस्य की मृत्यु होने पर नाम निर्देशितों/आश्रितों को	200000 से 400000
9.	बेटी जन्म उपहार योजना— लाभार्थी की दो बेटी के जन्म हेतु सहायता	51000
10.	मानसिक रूप से मंद /दिव्यांग बच्चों के लिए योजना— लाभार्थी के मानसिक रूप से मंद /दिव्यांग बच्चों की देखभाल हेतु	20000 प्रतिवर्ष
11.	विधवा पैशन योजना—पंजीकृत सदस्य की विधवा को	1500 प्रतिमाह
12.	होस्टल सुविधा योजना— लाभार्थी के बच्चों को होस्टल में रहने पर	20000 प्रतिवर्ष
13.	मुख्यमंत्री आवास योजना— लाभार्थी को मुख्यमंत्री आवास योजना के तहत मकान बनाने हेतु अतिरिक्त सहायता	150000

— जिला श्रम कल्याण अधिकारी कार्यालय के दूरभाष नम्बर —

क्र.म.	जिला श्रम कल्याण अधिकारी	मोबाइल नम्बर	दूरभाष कार्यालय
1.	जिला श्रम कल्याण अधिकारी, बिलासपुर	7018134707	01978—292617
2.	जिला श्रम कल्याण अधिकारी, चम्बा	9805273701	01899—294050
3.	जिला श्रम कल्याण अधिकारी, हमीरपुर	8629803250	01972—292305
4.	जिला श्रम कल्याण अधिकारी, कांगड़ा	7876791834	01892—237322
5.	जिला श्रम कल्याण अधिकारी, किन्नौर	8500156903	01786—223903
6.	जिला श्रम कल्याण अधिकारी, कुल्लू	9459536383	—
7.	जिला श्रम कल्याण अधिकारी, मण्डी	9736749799	01905—235728
8.	जिला श्रम कल्याण अधिकारी, रामपुर	9501457815	01782—292110
9.	जिला श्रम कल्याण अधिकारी, शिमला	9459974134	0177—2625084
10.	जिला श्रम कल्याण अधिकारी, सिरमौर	9805958347	—
11.	जिला श्रम कल्याण अधिकारी, सोलन/बदौली	7818583389	01792—298575
12.	जिला श्रम कल्याण अधिकारी, ऊना	8219815340	01975—292019

पंजीकरण के लिए सम्बन्धित जिला श्रम कल्याण अधिकारी कार्यालय से सम्पर्क करें या बोर्ड की बेब साईट <https://boew.hp.nic.in> पर ऑनलाईन पंजीकरण करवा सकते हैं।



प्ररूप-27

(नियम-266 (4) देखें)
पंजीकरण हेतु आवेदन

फोटो

तारीख :.....

(आवेदक के हस्ताक्षर)

नियोजक का नाम, पता व मोहर / हस्ताक्षर

श्रम अधिकारी के हस्ताक्षर व मोहर

सभी कॉलम भरने आवश्यक हैं अन्यथा फार्म स्वीकार नहीं किया जायेगा तथा फार्म में किसी भी तरह की कटिंग मान्य नहीं होगी।



हिमाचल प्रदेश भवन एवं अन्य सन्निर्माण कामगार कल्याण बोर्ड
ठाकुर वाटिका, खलीनी, शिगला-२ (हि०प्र०)



प्ररूप-२८
(गियम-२८६ (७) देखें)
नामांकन प्ररूप

मैं अधिकार प्राप्त आभितों के रूप में निम्नलिखित व्यक्तियों को मेरी ओर से निश्चिर रो देय रामस्त राशी
प्राप्त करने और मेरी मृत्यु होने की रिस्तति में मेरे सभी लाभों की राशी प्राप्त करने के लिए नामित करता हूँ :

नामनिर्दिष्ट व्यक्ति/व्यक्तियों के नाम व पता तथा पंजीकरण संख्या (यदि कोई हो)	सदस्य के साथ रामन्य	नामनिर्दिष्ट की आगु तथा जन्मतिथि	प्रत्येक नामनिर्दिष्ट व्यक्ति को दी जाने वाली राशी (प्रतिशतता में)
1	2	3	4

कर्मकार का नाम:

कर्मकार की पंजीकरण संख्या.....

स्थान : पता :

तारीख : पिनकोड़

पंचायत..... ब्लॉक

श्रम अधिकारी के हस्ताक्षर व मोहर

(कर्मकार के हस्ताक्षर)

सभी कौलम भरने आवश्यक है अन्यथा फार्म स्वीकार नहीं किया जायेगा तथा फार्म में किसी भी तरह की कटिंग भान्य नहीं होगी।

निर्माण कार्य सम्बन्धी रोजगार प्रमाणपत्र

कामगार का नाम : पंजीकरण संख्या :

पता :

पिनकोड़ पंचायत विकासखंड

महिला / पुरुष श्रेणी : (सा./अ.जा./अ.जजा./अन्य).....

रोजगार का स्वरूप : बढ़ई / पेन्टर/प्लम्बर/ वेल्डर/ इलेक्ट्रीशियन/ मिस्ट्री/ मजदूर/ बेलदार/ हेल्पर/बॉरबेन्डर/
निर्माण चालक अन्य.....

1. निजी भवन एवं अन्य निर्माण कार्य सम्बन्धी ।

क्र. स.	नियोक्ता का नाम व पता	दूरभाष / मोबाईल न.	कार्य अवधि		कार्य दिवस	निर्माण कार्य का पूर्ण नाम	नियोक्ता के हस्ताक्षर
			कब से	कब तक			
1.							
2.							
3.							
4.							
5.							
6.							

प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त सभी तथ्य सही है यदि उपरोक्त तथ्यों मे कुछ गलत पाया जाता है तो मैं, मेरे विरुद्ध कानूनी कार्यवाही के लिए स्वयं जिम्मेवार रहूंगा । रहूंगी ।

कामगार का नाम एवं हस्ताक्षर

दिनांक :

श्रम कल्याण अधिकारी के हस्ताक्षर व मोहर

2. पंजीकृत ठेकेदार/ सरकारी संस्थान /पंजीकृत संस्था में निर्माण कार्य सम्बन्धी ।

क्र. सं.	नियोक्ता का नाम व पता	दूरभाष / मोबाइल नं.	कार्य अवधि		कार्य दिवस	निर्माण कार्य का पूर्ण नाम	नियोक्ता के हस्ताक्षर
			कब से	कब तक			
1.							
2.							
3.							
4.							
5.							
6.							

प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त सभी तथ्य सही है यदि उपरोक्त तथ्यों में कुछ गलत पाया जाता है तो मैं, मेरे विरुद्ध कानूनी कार्यवाही के लिए स्वयं जिम्मेवार रहूंगा । रहूंगी ।

कामगार का नाम एवं हस्ताक्षर

दिनांक :

हस्ताक्षर

(पंजीकृत ठेकेदार/ सरकारी संस्थान/
पंजीकृत संस्था के मुखिया द्वारा) मोहर सहित